कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश.

सतपुड़ा भवन ,भू–तल भोपाल

क्रमांक/संरक्षण/160 भोपाल : दिनांक 21/1/02

प्रति

समस्त वन संरक्षक एवं

(क्षेत्रीय)संचालक , टाइगर परियोजना ,मध्यप्रदेश

विषय – वन अपराधों का कालातीत होने से पूर्व अभियोजन प्रारंभ करना ।

संदर्भ :- (1)प्रधान मुख्य वन संरक्षक,म.प्र. का पत्र क्रमांक 2948 दिनांक 20/11/98

(2)मु.व.सं.(संरक्षण)का पत्र क्रमांक 2495 दिनांक 29/10/97

(3)मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)का पत्र क्रमांक 1675 दिनांक 19/6/98

–0–

कृपया संदर्भित पत्र क्रमांक–2 का अवलोकन करें जिसके माध्यम से आप लोगों को सूचित किया गया था कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार वन अपराध निम्नानुसार कालातीत हो जाते हैं।

468. Bar on taking cognizance after lapse of the period of limitation-(1) Except as otherwise provided elsewhere in this Code , no Court shall take cognizance of an offence of the category specified in sub-section(2), after the expiry of the period of limitation.

(2) The period of limitation shall be -

(a) six months, if any offence is punishable with fine only;

(b) one year,if the offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding one year;

(c) three years,if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding one year but not exceeding three years.

1[(3) For the purposes of this section, the period of limitation,in elation to offences which may be tried together, shall be determined with reference to the offence which is punishable with the more severe punishment or, as the case may be, the most severe punishment.]

जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 1 वर्ष म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियमन)के अन्तर्गत 2 वर्ष वन्यप्राणी (संरक्षण)अधिनियम 1972 के अन्तर्गत 3–6 वर्ष एवं म0प्र0काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के अन्तर्गत 1 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है। इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम , एवं म0प्र0काष्ठ चिरान अधिनियम

के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरण 1 वर्ष के अन्दर कालातीत होते हैं एवं म0प्र0वनोपज (व्यापार विनियमन)अधिनियम एवं वन्य प्राणी (संरक्षण)अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराध 3 वर्ष में कालातीत हो जाते हैं। इसलिये यह अनिवार्य है कि इस समय सीमा के अन्दर या तो प्रकरण का प्रशमन पूर्ण हो जाये अन्यथा प्रकरण को अभियोजन हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय । प्राय:—प्राय: यह देखने में आया है कि क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारी अधिकतर प्रकरणों में प्रशमन की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य समझते हैं किन्तु अपराधी से राजीनामा प्राप्त करने के पश्चात अभियोजन की कार्यवाही पर कतई विचार नही करते हैं । ऐसी परिस्थितियों में यदि प्रशमन की कार्यवाही(वसूली सहित) निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण नहीं की जाती है तो सामान्यत: अपराधी के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही नहीं की जा सकती । इसलिये वन संरक्षकों एवं वनमण्डलाधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपराधों की जांच एवं प्रशमन की कार्यवाही पर सतत नजर रखें एवं कालातीत होने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण का निराकरण प्रशमन अथवा अभियोजन के माध्यम से सुनिश्चित करें । यदि कोई प्रकरण अपरिहार्य कारणों से समय पर अभियोजित नहीं हो पाता है तो न्यायालय से विलंब को क्षमा करवाने की कार्यवाही की जावे ।

अत: निर्देशित किया जाता है कि आप शीघ्रातिशीघ्र वन मण्डलाधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें परिस्थिति की गंभीरता से अवगत करवायें । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संदर्भित पत्र में प्रत्येक प्रकरण की जांच 3 महीने के अन्दर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है । इन निर्देशो का कड़ाई से पालन किये बिना प्रकरणों का समय पर निराकरण कठिन होगा । अधीनस्त अमले को निर्देशित करें कि उनके प्रभार की अवधि में घटित अपराध एवं उन्हें प्रभार में प्राप्त हुये अकालातीत प्रकरणों का निराकरण समयावधि में करें। जो कर्मचारी/अधिकारी वन अपराधो का समयानुसार निराकरण नहीं कर पाते उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे। क्योंकि मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन नियम 1969 के अन्तर्गत प्रशमन की शक्ति केवल वन मण्डलाधिकारी को दी गई है इसलिये यदि राष्ट्रीकृत वनोपज से संबंधित प्रकरण समय पर प्रशमन नहीं होते हैं या उनका अभियोजन न्यायालय में नहीं किया जाता है तो वनमण्डलाधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी ।

कृपया इन निर्देशों के पालनार्थ हेतु कड़े कदम उठायें ।

मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश